न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3155–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–07–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इंदौर, प्रकरण कमांक 96/11–12/अपील.

.....

राजेन्द्र कुमार तवर पुत्र श्री दौलतराम तवर
निवासी 184 साकेत नगर इंदौर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–राधेश्याम पुत्र श्री पर्वतसिंह
2–रेशमबाई बेवा पत्नी श्री पर्वतसिंह
निवासी ग्राम लसुडिया मोरी तहसील व जिला
इंदौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री टी.टी.गुप्ता एवं श्री ओ.पी.शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार इंदौर के आदेश दिनांक 27–2–12 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 96/अपील/11–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनोवदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 सहपठित संहिता की धारा 32 एवं 43 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–7–2014 को आदेश

पारित किया जाकर अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि किन–किन व्यक्तियों को विकय की गई है, दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 7/2 विकेता द्वारा जिन जिन व्यक्तियों को विकय किया गया है, की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील की विषयवस्तु नहीं है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रभावहीन आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 एवं सहिता की धारा 32 एवं 43 के प्रावधान अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत आदेश पारित करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि पंजीकृत विकय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है, अतः उक्त विकय पत्र निरस्त करने के निर्देश देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील लंबित रखने के उददेश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नाबालिग की भूमि बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के विकय नहीं की जा सकती है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 7/2 के संबंध में निष्पादित सात पंजीकृत विकय पत्र मंगाया जाना अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील

प्रकरण की विषयवस्तु है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) संहिता की धारा 43 के अन्तर्गत संहिता के प्रावधान मौन होने पर व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत न्याय के उददेश्य से अंतरनिहित शक्तियॉ राजस्व न्यायालयों को प्राप्त हैं, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही कार्यवाही की गई है ।

(3) नाबालिग की भूमि यदि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विकय की जाती है, तब केता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

(4) अवैधानिक विकय पत्र के आधार पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और नामान्तरण नहीं किया जा सकता है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के समक्ष प्रचलित अपील में जगदीश पिता पर्वतसिंह पक्षकार थे, परन्तु इस न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः पक्षकार के असंयोजन के कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) आवेदक सहित श्रीमती सुदर्शन रानी पति राजेंद्र कुमार द्वारा दशम सिविल जज द्वितीय श्रेणी इंदौर के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में वादोत्तर तथा काउन्टर क्लेम सर्वे कमांक 7/2 की भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ विकय पत्रों की प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 सहपठित संहिता की धारा 32 व 43 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वे सर्वे नम्बर 7/2 भूमि जिन जिन व्यक्तियों को विकय की गई है, उनके विकय विलेख प्रस्तुत करने के निर्देश आवेदक पक्ष को देवें । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्याय की दृष्टि से

अनावेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक को उक्त विकय पत्र पेश करने के निर्देश दिये हैं । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानित है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व उस पक्ष का है जो उसका लाभ लेना चाहता है। अतः इसके लिये दूसरे पक्ष को मजबूर नहीं किया जा सकता । अनावेदक चाहे तो उसे स्वयं उन विकय पत्रों की प्रतियॉ प्राप्त कर साक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहिये । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश वैधानिक एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–07–2014 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण 3156–पीबीआर/2014 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर